पुलिस आदेश संख्या २४८/९४

राज्य के अनेक जिलों में अनुसंधानाधीन लंबित अभियोगों की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है एवं इस समस्या पर अविलम्ब प्रभावकारी नियंत्रण आवश्यक प्रतीत होता है।

समस्या के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि अवर निरीक्षकों एवं सहायक अवर निरीक्षकों द्वारा नियमित एवं सुनियोजित रूप से कांडों का अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। अविशेष प्रतिवेदित अभियोगों पर तो वरीय पदाधिकारियों का नियंत्रण नहीं के बराबर है जिसके कारण न तो इन कांडों का उचित अनुसंधान हो रहा है और न इनका शीघ्र निष्पादन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की जाय जिसके द्वारा उपरोक्त कोटि के अनुसंधानकों के कार्य पर वरीय पदाधिकारियों का समुचित नियंत्रण हो सके, अनुसंधान नियमित तथा सुनियोजित हो सके तथा अनुसंधानकों की कार्यविधि का मूल्यांकन किया जा सके।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आदेश दिया जाता है कि अवर निरीक्षक एवं सहायक अवर निरीक्षक कोटि के सभी अनुसंधानक एक प्रतिवेदन अपने-अपने आरक्षी निरीक्षकों को प्रतिदिन निम्नांकित प्रपत्र में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे :

दैनिक अनुसंधान प्रतिवेदन

थाना—

अनुसंधानक का नाम—

दिनांक—

क्र० सं०	कांड सं०	प्रसंगाधीन तिथि को किया गया कार्य
१.	२.	३.

उपरोक्त प्रपत्र के कॉलम २ में अनुसंधानक के पास अनुसंधानाधीन लंबित सभी कांडों की प्रविष्टि की जाएगी। कॉलम ३ में अत्यन्त संक्षेप में यह अंकित किया जायेगा कि प्रत्येक कांड में प्रतिवेदन समर्पित करने की तिथि से पूर्व २४ घण्टों के अन्दर उन्होंने क्या कार्रवाई की। कार्रवाई का विस्तृत विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरणस्वरूप अगर अनुसंधानकर्त्ता ने छापामारी की तो वे सिर्फ इतना ही अंकित करेंगे कि छापामारी की गयी। यदि उन्होंने गवाहों का बयान लिया है तो वे इतना ही अंकित करेंगे कि गवाहों का बयान लिया गया। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है तो वे इसमें शून्य अंकित करेंगे किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक आरक्षी निरीक्षक का कर्त्तव्य होगा कि उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर वे माह के अंत में एक समेकित प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में आरक्षी उपाधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक को समर्पित करेंगे।

मासिक अनुसंधान प्रतिवेदन

थाना/अंचल माह

अनुसंधानक का नाम	थाना एवं कांड सं०	माह में अनुसंधान कार्य कुल कितने दिन किया गया	अंतिम दैनिकी सं० एवं तिथि	अनुसंधानक के कार्य पर मंतव्य
१	२	३	४	५

सभी आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी निरीक्षकों के द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों की जांच कर यह देखेंगे कि प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता ने माह में नियमित रूप से अनुसंधान का कार्य किया है या नहीं एवं एक समीक्षात्मक प्रतिवेदन अपने क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक एवं प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक को भेजेंगे।

क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वे प्रत्येक माह में ऐसे उन अभियोगों के अनुसंधान की समीक्षा करेंगे जो ६ महीने से अधिक लंबित हो अगर आरक्षी उप-महानिरीक्षक की राय में इन अभियोगों को आगे लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है, तो वे सुनिश्चित करेंगे कि इन अभियोगों में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया जाय।

क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षकों द्वारा की गयी समीक्षा का प्रतिवेदन प्रत्येक माह के १५ तारीख तक पुलिस मुख्यालय में आरक्षी उप-महानिरीक्षक (ड. नि.), अप. अनु. विभाग को एवं अपने प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को निश्चित रूप से भेज दिया जाये।

इस आदेश का अनुपालन आदेश निर्गत होने की तिथि से सुनिश्चित किया जाये।

विजय जैन

(विजय जैन)
महानिदेशक-सह आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – ५००४/एल-१
४३-५६-५६-९४

दिनांक २४ अक्टूबर, १९९४

प्रतिलिपि—१. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
२. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
३. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
४. आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

विजय जैन

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।